

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम (म0प्र0)

// आदेश //

कमांक 1118 / दो-11-17 / 25

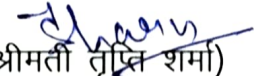
नर्मदापुरम, दिनांक 08 / 12 / 25

मैं, श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम कार्यविभाजन आदेश वर्ष 2025 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रतिस्थापित करती हूँ :-

अ- पेज कमांक 25 "आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु चार्ट" में जहाँ जहाँ "तृतीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम" है, को विलोपित किया जाता है।

ब- पेज कमांक 5 की कंडिका 4 "द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम" के समक्ष कॉलम 4 में कंडिका 26 के पश्चात कंडिका 27 निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :-

27- तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम (रिक्त न्यायालय) द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल/आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण एवं उक्त न्यायालय के आवश्यक कार्यों का निराकरण।


(श्रीमती तृप्ति शर्मा)
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म0प्र0)

पृ० क. 4456 / सां० लि० / 2025

नर्मदापुरम, दिनांक 08 / 12 / 25

कार्यविभाजन पत्रक 2025 में आंशिक संशोधन की प्रतिलिपि :-

- 01- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 - 02- समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला स्थापना, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया
 - 03- अध्यक्ष/सचिव अधिवक्ता संघ, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया
 - 04- प्रस्तुतकार सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम
 - 05- पंजीयन लिपिक, नर्मदापुरम
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वास्ते - प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म0प्र0)